भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1070
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक न्यायालयों का ना होना और न्यायालयों में रिक्तियां

1070 डा. अमर पटनायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर कितने न्यायाधीश हैं ;

(ख) उच्चतम न्यायालय के सुझाव के अनुसार प्रति मिलियन जनसंख्या पर कितने न्यायाधीश होने चाहिए;

(ग) क्या देश में पर्याप्त फास्ट ट्रैक न्यायालयों के अभाव में और ऐसी अदालतों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के कारण मामलों के समय पर निपटान में समस्या आ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सुझावों पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : 31.12.2021 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संबंध में (न्यायाधीश/प्रति मिलियन जनसंख्या) न्यायाधीश और जनसंख्या का अनुपात 21.03 है । किसी वर्ष विशेष में प्रति मिलियन जनसंख्या के लिए न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात की संगणना करने के लिए, विभाग जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या तथा किसी वर्ष विशेष में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना के मापदंड का उपयोग करता है ।

(ख) : इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2014 में राष्ट्रीय न्यायालय प्रबन्धन प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा इसकी 245वीं रिपोर्ट (2014) में की गई सिफारिशों का परीक्षण करने तथा इस संबंध में इसकी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए कहा । विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मापदंड नहीं माना है । विधि आयोग ने पाया कि देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में डाटा संग्रहण के पूर्ण और वैज्ञानिक आगम के अभाव में, लम्बित मामलों को कम करने के लिए अपेक्षित के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि लम्बित मामलों की संख्या का और सृजन न हो, अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या संगणित करने के लिए

"निपटारे की दर" पद्धति अधिक तथ्यात्मक और उपयोगी है ।

एनसीएमएस समिति ने मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, कहती है कि दीर्घ अवधि में प्रत्येक न्यायालय के मामलों के भार के निपटारे हेतु अपेक्षित "न्यायिक घंटों" की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या का मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धति से करना पड़ेगा । समिति ने अन्तरिम रूप से "महत्व" अनुसार निपटारा आगम प्रस्तावित किया है अर्थात् निपटारा मामलों की प्रकृति और स्थानीय दशाओं में उनकी जटिलता के महत्व अनुसार हो ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के इसके आदेश तारीख 07.07.21 में निदेश के अनुसार, एनसीएमएस की अंतिम रिपोर्ट की सुसंगत प्रति उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित की जानी थी, जिसका अनुपालन कर दिया गया है । न्यायाधीशों की संख्या और न्यायिक अवसंरचना का आवर्धन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरन्तर और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है ।

(ग) और (घ) : अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, जिसके अन्तर्गत फास्ट ट्रैक न्यायालय भी हैं, और इनका कार्यकरण संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में है । त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए, चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी तथा जघन्य अपराधों के विशिष्ट प्रकृति के मामलों के लिए, महिलाओं, बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य दुर्बल वर्गों आदि से संबंधित सिविल मामलों के लिए तथा 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित संपत्ति से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए राज्य सरकारों से (32% से 42%) वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने पर जोर दिया था । दिसम्बर, 2021 तक उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए डाटा के अनुसार 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 898 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं ।

बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण तथा निपटारे के लिए, न्याय विभाग 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अन्तर्गत 389 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एक वर्ष की अवधि के लिए अक्तूबर, 2019 में आरम्भ हुई । इसे 31.03.2023 तक और दो वर्षों के लिए 1572.86 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपए हैं, विस्तारित किया गया है । दिसम्बर, 2021 मास के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सम्पूर्ण देश में 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 700 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिनमें 383 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित

उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है ।

****